□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3307

12 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ऐरेटिड और ऊजा पेयों का उपभोग

3307. श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः
(क) क्या देश के विभिन्न भागों से ऐरेटिड और अन्य ऊजा पेय के उपभोग के कारण कतिपय मौतों के मामले रिपोट किए गए ह और यदि हां, तो गत तीन वर्षों म प्रत्येक वष और चालू वष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे कई अध्ययनों पर ध्यान दिया है जिनम यह बताया गया है कि ऐरेटिड और ऊजा पेय से कसर, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न होते ह और यदि हां, तो देश म इन पेयों के संबंध म विहित मानकों और विनियमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उपयुक्त मानकों और विनियमों के समुचित अनुपालन तथा ऐरेटिड और ऊजा पेयों के उपभोग के दुष्परिणामों के बारे म जागरुकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास वातयुक्त (ऐरेटिड) और अन्य एनर्जी पेय पदाथ के सेवन से होने वाली मौतों के बारे म कोई जानकारी नहों है।

(ख): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि उन्होंने कसर, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों तक ले जाने वाले वातयुक्त और एनर्जी पेय के सेवन पर कोई अध्ययन नहों किया है। थोड़े समय म एनर्जी और कैफोन युक्त पेय का अत्यधिक सेवन या शराब जैसे अन्य उत्तेजक पदार्थों के मिश्रण के सेवन से अतालता (एरिथामियास) आदि जैसे स्वास्थ्य जोखिम हो सकते ह, लेकिन मामूली मात्रा म और अलग से इसका सेवन करना अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकता है। प्रेंट पब्लिक हेल्थ, 2014 म प्रकाशित एक समीक्षा म उल्लेख किया गया है कि एनर्जी पेय के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम मुख्य रूप से उनको कैफोन सामग्री से संबंधित ह, लेकिन ऐसे अधिक शोध को आवश्यकता है जो आम एनर्जी पेय सामग्री के उपभोग के दीघकालिक प्रभावों का मूल्यांकन कर सके।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के संबंधित खंड 2.3.30, 2.10.6 (1) और 2.10.6 (2) के तहत 'कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेज/ फ्रूट ड्रिंक', 'कार्बोनेटेड जल' और 'कैफोन युक्त पेय' पर मानक तैयार किए ह।

(ग): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके अंतगत निर्मित नियमों और विनियमों का कायान्वयन मुख्य रूप से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के पास ह। खाद्य उत्पादों को नियमित निगरानी, मॉनिर्टारिग, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा यह जांच करने के लिए किया जाता है कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके तहत नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप ह। ऐसे मामलों म जहां खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते ह, वहां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार कारवाई को जाती है।

एफएसएसएआई घर, स्कूल, कायस्थल आर्दि पर खाद्य सुरक्षा और पोषण के सामाजिक और व्यवहार्रिक पर्रिवतन पर ध्यान कद्रित करके सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पहलों जैसे कई पहलों के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा दे रहा है; नमक चीनी और वसा आर्दि के कम मात्रा म दैनिक सेवन के लिए संदेश पर ध्यान कद्रित करने के साथ "आज से थोड़ा काम" जैसे अभियान चलाए गए ह। इसने स्वास्थ्यप्रद विकल्प प्रदान करने के लिए उत्पादों म सुधार करने के लिए उद्योग को बाध्य किया है। इसने लोगों म जागरूकता पैदा करने के उपाय के रूप म हाई फैट साल्ट एंड शुगर (एचएफएसएस) फूड्स के प्रंट-ऑफ-पैकिग लेबर्लिग के प्रावधान के साथ एक विनियमन भी तैयार किया है। आम जनता से टिप्पणियों को मांग के लिए उक्त विनियमन को 02.07.2019 को अधिसूचित किया गया है। एक विशेष आउटरीच पहल म, 16 अक्टूबर 2018 को एक पैन-इंडिया साईकिल रैली, स्वच्छ भारत यात्रा शुरू हुई, सही खाने के अधिकार का संदेश फैलाने के लिए, 21,000+ स्वयंसेवक साईकिल चालकों को इकट्ठा किया गया, 20,000 किलोमीटर को दूरी तय को गई और 100+ दिनों म 2100+ स्थानों को यात्रा को गई जिसम 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई।

*****